।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/10 तारीख रज्जू 27.01.2014

01– सूण्डू पुत्र हरला जाति चमार उम्र करीब 75 साल निवासी ग्राम साहोडी तहसील अलवर जिला अलवर –प्रार्थी 2014/543

बनाम

01– राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर अलवर

02– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब अलवर –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

दिनांक: 31.07.2019

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.19 है० जिसके साबिक खसरा नम्बर 854 मिन थे वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर में स्थित है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जागीरदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। सम्वत् 2010 से पहले से ही प्रार्थी का कब्जा बहैसियत खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी की काश्त आज भी बोई हुई है। प्रार्थी का राजस्व अभिलेख में सम्वत् 2050 में गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। साबिक रिकार्ड की नकल संलग्न है। प्रार्थी का कब्जा 50 साल से अधिक समय से है। प्रार्थी को कानूनन विवादित आराजी में हकूक खातेदारी हासिल हो चुके है। जिस आश्य की घोषणा हेतु ये वाद पेश किया गया है। सैटलमैन्ट 2051 व इसके पश्चात बनी जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम कलमजन कर दिया गया। आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया। आराजी सिवाय चक नही है। प्रार्थी सिवाय चक का इन्द्राज कलमजन कर स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का कानूनन मुश्तहक है। प्रार्थी की जाति चमार है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

कागजात माल में प्रार्थी की जाति नट दर्ज कर दी गई जो गलत है। प्रार्थी कागजात माल में दर्ज प्रार्थी की जाति नट के स्थान पर चमार दर्ज कराने का अधिकारी है। दिनांक 24.12.2013 को पटवारी हलका से नकल लेने गया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। प्रार्थी ने इन्द्राज दुरूस्ती कराने के लिए अप्रार्थीगण को निवेदन किया तो उन्होने 16.1.2014 को विवादित आराजी को दीगर लोगों को अलॉट करने व बेदखल करने की धमकी दी। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.19 है० को किसी दीगर व्यक्ति को अलॉट ना करे प्रार्थी को जबरन बेदखल ना करे व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। राजस्व लोक अदालत अभियान में तहसीलदार (भू०अ०) अलवर द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण ने जाहिर किया की साबिक खसरा नम्बर 854 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1397 रकबा 0.17 है०, 1398 रकबा 0.19 है० बने है। प्रार्थी द्वारा सम्वत 2010 से पूर्व में बहैसियत खातेदार काश्तकार होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। साबिक खसरा नम्बर 854 का कुल रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा था। जिसमें से प्रार्थी को सिर्फ 14 बिस्वा भूमि पर गैर खातेदारी दी गई थी, शेष 15 बिस्वा भूमि सिवायचक (कस्टोडियन) ही दर्ज रखी गई है। जमाबन्दी 2069 से 2072 वाके ग्राम साहोडी में खाता संख्या 234 पर वादी की जाति जटिया दर्ज है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.19 है० कभी भी अलॉट नही हुई है। जो सम्वत् 2020 से ही सिवाय चक (कस्टोडियन) दर्ज है। सम्वत 2020 की मिसल हकीयत में खसरा नम्बर 854 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा सिवाय चक (कस्टोडियन) दर्ज है। सम्वत 2032 में वादी को खसरा नम्बर 854 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में से 14 बिस्वा भूमि पर गैर खातेदारी प्रदान की गई है तथा शेष 15 बिस्वा भूमि कस्टोडियन रखी गई है। बन्दोबस्त सम्वत 2051 में साबिक खसरा नम्बर 854 के हाल खसरा नम्बर 1397 रकबा 0.17 है० व 1398 रकबा 0.19 है० बने है। प्रार्थी को दी गई गैर खातेदारी रकबा 14 बिस्वे के नये नम्बर 1397 रकबा 0.17 है० बने है, जो वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 234 में वादी के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी न्यायालय को गुमराह कर साबिक खसरा नम्बर 854 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में से शेष रही भूमि 15 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.19 है० बने है की खातेदारी का अनुतोष चाह रहा है जो कानून के खिलाफ

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

व विधि विरूद्ध है। तहसीलदार (भू०अ०) अलवर द्वारा वाद निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एवं प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुल प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य किसी दीगर व्यक्ति को अलॉट ना करे व जबरन बेदखल ना करे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.19 है० सिवाय चक लगानी कस्टोडियन भूमि है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी द्वारा पेशकर्दा प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज केया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner